राजस्थान विश्वविद्यालय,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
फोन नं. 0141–2708824, 2711070
फैक्स नं. 0141–2701367, वेब साईटः www.uniraj.ac.in

क्रमांकः उ.कु./गोप. प्रथम/2021/ 1209 दिनांकः 13/07/2021

समस्त प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/निदेशक,
संघटक/सम्बद्ध महाविद्यालय/विभाग/पी.जी. स्कूल्स,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर।

विषयः सत्र 2020–21 की परीक्षाओं हेतु दिशा–निर्देश।

संदर्भः राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग के पत्र क्रमांक प.3 (7)/शिक्षा–4/2014 पार्ट जयपुर, दिनांक 04.07.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के संदर्भ में जारी दिशा–निर्देश एवं माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 13.07.2021 की अनुपालना में कोविड–19 वैश्विक महामारी के वर्तमान परिदृश्य को मध्यनजर रखते हुए विश्वविद्यालय की सत्र 2020–21 की परीक्षायें निम्नानुसार आयोजित होंगीः–

1. कोविड–19 वैश्विक महामारी के वर्तमान परिदृश्य को मध्यनजर रखते हुए स्नातक/स्नातकोत्तर/सेमेस्टर परीक्षा 2020–21 में जिन प्रश्न–पत्रों की समयावधि पाठ्यक्रमानुसार 3 घण्टे (तीन घण्टे) निर्धारित है, के स्थान पर प्रति प्रश्न–पत्र की 1½ घण्टे समयावधि निर्धारित की जाती है। **स्नातक** कला/वाणिज्य/विज्ञान संकाय जिसमें एक विषय में दो प्रश्न–पत्रों (Two Papers) का आयोजन होता है, के संदर्भ में परीक्षार्थियों के दोनों प्रश्न–पत्रों (Two Papers) की परीक्षा निर्धारित प्रक्रियान्तर्गत एक ही पारी में (1½+1½= 3 घण्टे की समयावधि में) आयोजित होगी। इसी प्रकार कला/विज्ञान संकाय के कुछ विषय के प्रश्न पत्र जिनकी संख्या दो से अधिक है, उनकी परीक्षाओं का आयोजन दो प्रश्न–पत्रों (प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न–पत्र) का एक ही पारी में (1½+1½= 3 घण्टे की समयावधि में) आयोजित होगी तथा शेष प्रश्न–पत्र (तृतीय प्रश्न–पत्र) की परीक्षा आगामी दिवस में डेढ़ घण्टे की समयावधि में करवायी जायेगी। एक पारी में (1½+1½= 3 घण्टे की समयावधि में) दो प्रश्न–पत्रों के आयोजन में प्रश्न–पत्र वितरण में लगने वाले समय की क्षतिपूर्ति बाबत 05 मिनट का अतिरिक्त समय परीक्षार्थियों को देय होगा। **साथ ही यह सुनिश्चित करें कि प्रथम प्रश्न–पत्र की उत्तर–पुस्तिका के संग्रहण के पश्चात ही द्वितीय प्रश्न–पत्र और उत्तर–पुस्तिका वितरित की जाये।**

2. स्नातक कला संकाय के विषय Deaf, Dumb & Blind के प्रश्न–पत्रों की समयावधि पाठ्यक्रमानुसार 4 घण्टे (चार घण्टे) निर्धारित है, के स्थान पर प्रति प्रश्न–पत्र की 2 घण्टे (दो घण्टे) समयावधि निर्धारित की जाती है तथा परीक्षार्थी को प्रत्येक प्रश्न–पत्र में से कुल पूर्णांकों के 50 प्रतिशत प्रश्न–पत्र को ही हल करना होगा।

3. परीक्षार्थियों को दिये गये प्रश्न–पत्र में विकल्प जैसेः–यूनिट/इकाई तथा अथवा/OR के अनुसार प्रश्नों को हल करने की बाध्यता नहीं होगी। परीक्षार्थियों को प्रत्येक प्रश्न–पत्र में से कुल पूर्णांकों के 50 प्रतिशत प्रश्न–पत्र को ही हल करना होगा। परीक्षार्थी द्वारा उक्त निर्धारित अंक सीमा से अधिक प्रश्नों को हल करने पर अतिरिक्त प्रश्नों के हल को स्वीकार नहीं किया जायेगा। ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी द्वारा उत्तर–पुस्तिका में हल किये गये सर्वोत्तम प्रश्नों को ही निर्धारित अंक सीमा तक स्वीकार किया जायेगा। परीक्षक द्वारा मूल्यांकित किये गये 50 प्रतिशत प्रश्नों के अंकों को 100 प्रतिशत में परिवर्तित करते हुये विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा।

उदाहरणार्थ

अधिकतम अंक सीमा	संशोधित 50 प्रतिशत अंक सीमा
100 अंक	50 अंक
80 अंक	40 अंक
50 अंक	25 अंक

कृ.प.उ.

4. जिन प्रश्न–पत्रों की समयावधि पाठ्यक्रमानुसार 1½ घण्टे एवं 2 घण्टे निर्धारित है, उन प्रश्न–पत्रों को परीक्षार्थियों द्वारा हल करने की समयावधि भी 1½ घण्टे एवं 2 घण्टे यथावत रहेगी एवं परीक्षार्थियों को पूर्व वर्षों की भांति कुल पूर्णांकों के अनुसार ही प्रश्नों को हल करना होगा। इसके अतिरिक्त प्रश्न–पत्र में विकल्प जैसेः– अथवा/or एवं इकाई (Unit) के अनुसार प्रश्नों को हल करने की बाध्यता नहीं होगी।
   उदाहरणार्थ :– 1½ एवं 2 घण्टे के प्रश्न पत्रों की अधिकतम अंक सीमा 100, 80, 60, 50 एंव 40 निर्धारित है उन प्रश्न पत्रों को पूर्ण हल करना है उनके अंकों में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

5. विश्वविद्यालय की शेष रही परीक्षाओं यथा तृतीय सेमेस्टर परीक्षा दिसम्बर–2020, सर्टिफिकेट/डिप्लोमा, बी.ए. एल.एल.बी. सेमेस्टर, एल.एल.बी. मुख्य एवं बकाया/पूरक प्रश्न–पत्रों का पैटर्न एवं समयावधि उक्तानुसार रखी जायेगी। साथ ही जिन महाविद्यालय/विभागों की सेमेस्टर तृतीय परीक्षा दिसम्बर–2020 तथा विधि की आंतरिक/प्रायोगिक परीक्षा लॉकडाउन के कारण सम्पन्न नहीं हुई थी उनकी आन्तरिक/प्रायोगिक परीक्षा महाविद्यालय/विभाग में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रणाली के माध्यम से राज्य सरकार के दिशा–निर्देशानुसार आयोजित करवायी जायेगी।

6. स्नातक/स्नातकोत्तर/सेमस्टर परीक्षा 2020–21 की प्रायोगिक परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षकों से परीक्षार्थियों के द्वारा महाविद्यालय में जमा करवाई गई फाईल/असाईनमेंट के आधार पर ही प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करवाई जाये जिसमें परीक्षार्थी की व्यक्तिशः उपस्थिति आवश्यक नहीं है। जिन प्रायोगिक विषयों में केवल Presentation, Viva-voce & Seminar का आयोजन होता है उन विषयों की प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रणाली के माध्यम से सम्बन्धित महाविद्यालय/विभाग द्वारा करवाया जाये। जिन पाठ्यक्रमों में आन्तरिक परीक्षा का आयोजन किया जाना है उन पाठ्यक्रमों में फाईल/असाईनमेन्ट/ऑन लाईन टेस्ट के आधार पर मूल्यांकित किया जाये।

7. कोविड–19 प्रोटोकॉल के तहत परीक्षा केन्द्र, राज्य सरकार (गृहविभाग) द्वारा समय–समय पर जारी एडवाइजरी एवं समस्त दिशा–निर्देशों की पालना यथा मास्क, सेनेटाइजर का उपयोग, सामाजिक दूरी एवं परीक्षा केन्द्र को सेनेटाइज करवाना आदि की पूर्णतः पालना सुनिश्चित करेंगे ताकि संक्रमण की विषमता को नियंत्रित करते हुये परीक्षाओं का सुचारू रूप से संचालन किया जा सके।

अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये परीक्षायें सम्पन्न कराई जावे।

भवदीय,

– Sd –
(डॉ. राकेश राव)
परीक्षा नियंत्रक

क्रमांकः उ.कु./गोप. प्रथम/2021/ **दिनांकः**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः–
1. समस्त अधिष्ठाता, रा.वि.वि., जयपुर।
2. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, रा.वि.वि., जयपुर।
3. जन संपर्क अधिकारी, रा.वि.वि., जयपुर।
4. निजी सचिव, कुलपति/कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक, रा.वि.वि., जयपुर।
5. सहायक कुलसचिव (परीक्षा संचालन), रा.वि.वि., जयपुर।
6. सहायक कुलसचिव (तलघर–प्रथम/द्वितीय), रा.वि.वि., जयपुर।
7. सम्बन्धित कम्प्यूटर फर्म।

14.7.2021
(डॉ. कुलदीप मिश्रा)
उप–कुलसचिव
(परीक्षा गोपनीय)